

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक

अरूण कुमार सिंह

प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई सृजन,

जल संसाधन विभाग,

डिहरी/दरभंगा/सहरसा/नालंदा/मोतीहारी/सिवान/गया/औरंगाबाद/भागलपुर ।

पटना, दिनांक- 03.03.2017

विषय- रब्बी सिंचाई अनुदेश 2016-17

महाशय,

रब्बी सिंचाई अभियान 2016-17 को सफल एवं प्रभावकारी बनाने हेतु सिंचाई के सभी श्रोतों से उपलब्ध जल को योजनाबद्ध तरीके से रब्बी उत्पादन में वृद्धि के लिए वैज्ञानिक ढंग से समुचित उपयोग करना आवश्यक है ।

1. इस वर्ष 2016-17 में रब्बी सिंचाई लक्ष्य का निर्धारण मुख्यतः क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं से प्रस्तावित लक्ष्य/विगत वर्षों का अधिकतम सिंचाई एवं सी0सी0ए0 को आधार मान कर वितरणी एवं लघु नहर स्तर तक किया गया है । नहरों के निर्धारित लक्ष्य की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है ।

2. इस वर्ष रब्बी मौसम से राज्य के जल संसाधन विभाग की वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 8.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है । रब्बी 2016-17 के लिए मुख्य अभियन्ताओं के परिक्षेत्राधीन परियोजनावार/नहरवार लक्ष्य की विवरणी संलग्न है । रब्बी सिंचाई के इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैं ।

(i) नहरों के प्रत्येक लॉक पर सिंचाई अवधि में एक दैनिक पंजी रखी जायेगी जिसमें प्रभारी पदाधिकारी हस्ताक्षर दर्ज करेंगे एवं प्रत्येक सप्ताह संबंधित पंचायत या कृषक समिति के कार्यकारिणी के सदस्यों का हस्ताक्षर कराना अनिवार्य होगा ।

(ii) उपर्युक्त निरीक्षण प्रक्रिया कार्यपालक अभियन्ता एवं संबंधित असैनिक अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा भी संयुक्त रूप से अपनायी जायेगी ।

(iii) नहरों में सिंचाई के लिए उपलब्ध जल का बेहतर उपयोग करते हुए अन्तर विभागीय समन्वय द्वारा रब्बी 2016-17 का अभियान प्रभावकारी बनाया जाय ताकि लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत सिंचाई एवं सूदकार हो सके ।

(iv) रब्बी सिंचाई 2016-17 के सफल कार्यान्वयन हेतु मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर पर पूर्व की भाँति एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे तथा नहर प्रणालियों से दी जानेवाली सिंचाई का गहन प्रबोधन करते हुए सिंचाई उपलब्धि की सूचना साप्ताहात में विभागीय सिंचाई मोनिटरिंग, अंचल, पटना को अवश्य उपलब्ध करा देगे । सिंचाई मोनिटरिंग अंचल, पटना को प्रतिदिन नहरों का खैरियत प्रतिवेदन देना भी सुनिश्चित करेंगे ।

(v) नहरों के संचालन हेतु विभागीय पत्रांक-यो0मो0 4-कार्य 10-1400/2001-220 दिनांक-12-04-2004 द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। नहरों के अंतिम छोर तक जल का वितरण समरूप अनुपात में होना चाहिये, जिसके लिए क्षेत्रीय सिंचाई के प्रभारी अभियन्ता मुख्य नहर के नियमन तथा नियंत्रण का भार स्वयं लेगे। जहाँ तातिल प्रथा लागू नहीं है एवं जहाँ मनमाना अधिक पानी लिए जाने की शिकायतें हैं, वहाँ इस पर विशेष ध्यान देंगे तथा जहाँ पानी की कमी है वहाँ तातिल प्रथा लागू कर पानी छोड़ने की व्यवस्था करेंगे। तातिल व्यवस्था में व्यवधान आने पर संबंधित जिलाधिकारी से सहायता प्राप्त करेंगे और इसकी सूचना सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को देंगे।

(vi) तातिल प्रथा से संबंधित कार्यपालक अभियंता नियमित रूप से स्थल भ्रमण कर कृषकों की कठिनाईयों को दूर करेंगे साथ ही प्रत्येक कार्यपालक अभियंता स्थल भ्रमण कर नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे।

(vii) अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, नहरों/वितरणियों/उप वितरणियों का प्रतिदिन नियमित रूप से गश्ती करेंगे एवं इसका प्रतिवेदन पक्षवार सिंचाई कोषांग को उपलब्ध करावेंगे।

(viii) मुख्य शीर्ष एवं विभिन्न शाखा नहरों में प्रवाहित जलश्राव का गहन प्रबोधन अधीक्षण अभियन्ता स्तर पर की जाय। जलश्राव में यदि कोई कमी हो तो इसके सुधार हेतु अविलम्ब आवश्यक व्यवस्था करेंगे तथा की गयी दैनिक कार्रवाई से संबंधित सूचना सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को उपलब्ध करावेंगे।

(ix) सिंचाई के प्रत्येक प्रशाखा एवं प्रत्येक अनुमंडल को एक कमांड मैप होना चाहिये जो ग्रामीण नक्शे पर अंकित रहेगा। कनीय अभियन्ता का दायित्व होगा कि वे अपने कार्य क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सिंचाई की उपलब्धि सुनिश्चित करेंगे तथा इसका भी लेखा रखेंगे कि किस क्षेत्र में किस कारण से सिंचाई में कमी हुई। सिंचाई में कमी का सत्यापन सहायक अभियंता करेंगे। नक्शा उपलब्ध नहीं होने पर कार्यपालक अभियन्ता पूर्णरूपेण व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।


(x) उपलब्ध पानी में कमी के कारण इनके सही एवं समान वितरण के लिए संबंधित अधीक्षण अभियंता प्रथम उत्तरदायी समझे जायेंगे।

(xi) मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि सिंचाई एवं नहरों में पानी की उपलब्धता से सम्बन्धित प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक प्राप्त होता रहे एवं इससे सम्बन्धित साप्ताहिक सिंचाई प्रतिवेदन प्रमंडलवार, जिलावार, प्रखण्डवार एवं प्रणालीवार विहित प्रपत्र में नियमित रूप से विभागीय सिंचाई मोनिटरिंग अंचल, पटना को समय पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3. रब्बी सिंचाई अभियान को सफल बनाना हमारा पुनीत कर्तव्य है। प्रत्येक पदाधिकारी जो सिंचाई कार्य में लगे हैं, उनका यह प्रयास होगा कि निर्धारित लक्ष्य से उपलब्धि अधिक हो। जिसके कार्य क्षेत्र में लक्ष्य से अधिक सिंचाई होगा वे प्रशस्ति पत्र के अधिकारी होंगे, जिनके क्षेत्र में बिना यथेष्ट कारण के, लक्ष्य से उपलब्धि कम होगा उनकी चारित्र्य में प्रतिकूल अभ्युक्ति दर्ज की जायगी।

अनुलग्नक:- रब्बी सिंचाई लक्ष्य 2016-17

विश्वासभाजन


(अरुण कुमार सिंह)


प्रधान सचिव

ज्ञापांक- सिं.को.-125/06-पार्ट 11 - 137

/पटना, दिनांक- 03.03.2017

प्रतिलिपि- अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/मंत्री, कृषि विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/आयुक्त, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, बिहार/कृषि विकास आयुक्त/सभी अध्यक्ष कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकार/अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना/ सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु0:- रब्बी सिंचाई लक्ष्य 2016-17



(अरूण कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- सिं.को.-125/06-पार्ट 11 - 137

/पटना, दिनांक- 03.03.2017

प्रतिलिपि- अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु0:- रब्बी सिंचाई लक्ष्य 2016-17


(अरूण कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
रब्बी सिंचाई 2016-17 का प्रस्तावित लक्ष्य

(आंकड़ा हे० में)

मुख्य अभियन्तापि रक्षेत्र	नहर प्रणाली	सी०सी०ए०	रब्बी 2016-17 हेतु प्रभावी सी०सी०ए०	विगत वर्ष 2015-16 का लक्ष्य	विगत वर्ष 2015-16 की उपलब्धि	वर्तमान वर्ष 2016-17 के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य	वर्तमान वर्ष 2016-17 का लक्ष्य	प्रतिशत लक्ष्य (प्रभावी सी.सी.ए. के विरुद्ध)	अभ्युक्ति
डिहरी	सोन नहर प्रणाली (पुरानी)	441501	422312	199557	145225	212785	223727	52.98	
	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली	55167	55167	24100	18350	26065	33780	61.23	
	मध्यम सिंचाई योजना	76766	55177	13882	7278	8925	17625	31.94	पानी की कमी
	कुल	573434	532656	237539	170853	247775	275132	51.65	
नालंदा	मध्यम सिंचाई योजना	115490	0	2215	0	2810	2810		पानी की कमी
गया	मध्यम सिंचाई योजना	51134	0	0	0	0	0		पानी अनुपलब्ध
	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली	22022	0	2280	2100	355	2100		पानी की कमी
	उत्तर कोयल नहर प्रणाली	2400	0	0	0	0	0		पानी अनुपलब्ध
	कुल	75556	0	2280	2100	355	2100		
औरंगाबाद	उत्तर कोयल नहर प्रणाली	79833	0	0	0	0	0		पानी अनुपलब्ध
	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली	52457	33339	12496	11915	14506	23135	69.39	
	पटना मुख्य नहर	116021	82384	40226	24284	41255	47879	58.12	
	मध्यम सिंचाई योजना	7711	0	0	0	0	0		पानी अनुपलब्ध
	कुल	256022	115723	52722	36199	55761	71014	61.37	
सहरसा	पूर्वी कोशी नहर प्रणाली	594731	267629	37534	23068	145997	146037	54.57	अधिकांश नहरों एवं संरचनाओं का पुनर्स्थापन कार्य चल रहा है तथा अधिकांश क्षेत्र Low Land होने के कारण उसमें रब्बी की खेती नहीं होती है एवं शेष क्षेत्र में दलहन, तिलहन एवं सब्जी की खेती होती है। इस कारण क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा मात्र 145997 हे० क्षेत्र में रब्बी सिंचाई का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है ।

दरभंगा	पश्चिमी कोशी नहर प्रणाली	202362	0	1502	840	2492	5166		नहर निर्माण कार्य के कारण मधुबनी एवं दरभंगा अंचलों में पड़ने वाले कुल 150703 हे० सी.सी.ए. के विरूध लक्ष्य शून्य रखा गया है तथा झंझारपुर अंचल में पड़ने वाले कुल 51659 हे० सी.सी.ए. के विरूध मात्र 2492 हे० लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है तथा इसका कारण अधिकांश क्षेत्र Low Land होना बताया गया है जिसमें रब्बी की खेती नहीं होती है एवं शेष क्षेत्र में दलहन, तेलहन एवं सब्जी की खेती होती है ।
	कमला सिंचाई योजना (त्रिशुला, किंग्स कॅनाल एवं मुनहरा सिंचाई सहित)	37433	0	789	450	2232	2232		पानी की कमी
	कुल	239795	0	2291	1290	4724	7398		
	कुल (कोशी परियोजना):-	797093	267629	39036	23908	148489	151203	56.50	
मोतीहारी	पूर्वी गंडक नहर प्रणाली	480665	308000	100774	114160	120815	150793	48.96	तिरहुत मुख्य नहर के वि०दू० 537 से 790 के बीच नहरों एवं संरचनाओं का निर्माण/पुनर्स्थापन कार्य चल रहा है जिससे 98000 हे० सी.सी.ए. प्रभावित हो रहा है । पश्चिमी एवं पूर्वी चम्पारण जिले में लगभग 54000 हे० में गन्ने की खेती तथा लगभग 27000 हे० में दलहन एवं तेलहन की खेती की जाती है जिसमें रब्बी सिंचाई के दौरान पटवन नहीं होता है । इस कारण क्षेत्र से मात्र 120815 हे० क्षेत्र में रब्बी सिंचाई का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है ।
सिवान	पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली	366577	219577	33996	27463	95486	121177	55.19	नहरों का पुनर्स्थापन कार्य प्रक्रियाधीन रहने के कारण लगभग 147000 हे० क्षेत्र में सिंचाई प्रभावित है । पुनर्स्थापन के पश्चात् ही इसमें सिंचाई हो सकेगी ।
	कुल(गंडक परियोजना):-	847242	527577	134770	141623	216301	271970	51.55	
भागलपुर	चंदन जलाशय योजना	68087	10320	5260	3160	5160	5160	50.00	पानी की कमी
	बदुआ जलाशय योजना	35664	19818	6214	905	9909	9909	50.00	
	अन्य योजना (मध्यम सिंचाई यो० सहित)	101089	20842	3709	2610	10421	10421	50.00	
	कुल(भागलपुर परिक्षेत्र):-	204840	50980	15183	6675	25490	25490	50.00	
	कुलयोग	2907110	1494565	484534	381808	699213	801951	53.66	